सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान-सभा

तृतीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि $\dfrac{\text{10 श्रावण, 1938 (श०)}}{\text{01 अगस्त, 2016 (ई०)}}$

प्रश्नों की कुल संख्या 64

(1) गृह विभाग	..	..	38
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	04
(3) उद्योग विभाग	..	..	01
(4) वित्त विभाग	..	..	06
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	..	..	04
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	06
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	02
(8) सूचना प्रावैधिकी विभाग	..	..	01
(9) निगरानी विभाग	..	..	01
(10) वाणिज्य-कर विभाग	..	..	01
		कुल योग —	64

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*1. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के कोशिकापुर उत्तर पंचायत के मौजा कोशिकापुर उत्तर, थाना नं० 148, खाता नं० 1841, खेसरा नं० 3080, रकबा 7 एकड़ कब्रिस्तान की अबतक घेराबंदी नहीं की गई है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान का कबतक घेराबंदी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना अन्तर्गत रखना

*2. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के असरगंज प्रखंड अन्तर्गत गाँव सतौत, जोरारी, मिलक जोरारी, बनगामा पंचायत मकवा में अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव असरगंज प्रखंड के अन्तर्गत है परन्तु उनका थाना तारापुर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँवों को असरगंज थाना अन्तर्गत रखने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*3. श्री मुन्द्रिका सिंह यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला के रतनीफरीदपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मुठहाम के ग्राम-उसरपट्टी, नारायणपुर पंचायत के सलेमपुर एवं सेरसम्भा पंचायत के ग्राम-सेरसम्भा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हो सकी है जिससे लोग लगातार अतिक्रमण करते जा रहे हैं और इसके चलते समय-समय पर विवाद होते रहते हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रश्नाधीन कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*4. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के इमादपुर गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रमाण-पत्र निर्गत करना

*5. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों की पुलिस द्वारा निजी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम से पाँच वर्षों के लिये चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है जबकि बिहार राज्य में छः माह के लिये चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, जिससे बाहर काम करने वाले निजी क्षेत्र के कर्मियों को परेशान होना पड़ता है यदि हाँ, तो क्या सरकार अन्य राज्यों की भाँति निजी क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिये चरित्र प्रमाण-पत्र पाँच वर्षों के लिये निर्गत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

दोषियों को सजा दिलाना

*6. श्री सुदामा प्रसाद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के हिलसा प्रखंड के केशोपुर ग्राम के सुश्री अनिषा कुमारी, पिता अभय प्रसाद जो पंचम वर्ग की छात्रा है के साथ 16 फरवरी, 2015 को विद्यालय जाते वक्त उसी ग्राम के गुलशन पासवान, पिता राजेन्द्र पासवान द्वारा छेड़खानी करने से संबंधित हिलसा थाना में कांड संख्या 80/15, दिनांक 20 फरवरी, 2015 दर्ज है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त घटना के बाद अभियुक्तों के द्वारा झूठे मामले में एस0सी0/एस0टी0 थाना, बिहारशरीफ में पीड़ित के परिजनों पर एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया जिसका एस0सी0/एस0टी0 थाना बिहारशरीफ कांड संख्या 16/15, दिनांक 1 मार्च, 2015 है ;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त घटनाओं की जाँच कर पीड़ित सुश्री अनिषा कुमारी को न्याय दिलाने के साथ ही फर्जी मुकदमा व अपराध करने वाले दोषियों को सजा कबतक दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-विकास आयुक्त की प्रतिनियुक्ति

*7. श्री मुजाहिद आलम--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिले में उप-विकास आयुक्त का पद रिक्त है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उप-विकास आयुक्त के नहीं रहने से किशनगंज जिले में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किशनगंज जिले में उप-विकास आयुक्त पदस्थापित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

निगरानी कार्यालय खोलना

*8. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, निगरानी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के जिलास्तर पर निगरानी कार्यालय नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि जिलास्तर पर निगरानी कार्यालय नहीं होने से गुणवत्तापूर्ण कार्य तथा भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के सभी जिलों में निगरानी कार्यालय खोलने का विचार कबतक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*9. डॉ० रामानुज प्रसाद—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत सोनपुर प्रखंड के चकदरिया सुल्तानपुर कब्रिस्तान एवं दिघवारा प्रखंडान्तर्गत वार्ड नं० 11 करवन्ना कब्रिस्तान की चहारदीवारी का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबंदी (चहारदीवारी) कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पलायन रोकना

*10. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में आई० टी० उद्योग को बढ़ावा देने हेतु आई० टी० पॉलिसी 2011 में बनी थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित आई० टी० पॉलिसी के राज्य में 2011 ई० में लागू होने के बावजूद बिहार में सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर के क्षेत्र में अबतक 100 करोड़ रु० का पूंजी निवेश नहीं हो सका जिसके कारण राज्य के लाखों आई० टी० प्रोफेशनल्स को बिहार छोड़कर बैंगलोर, पूणे, दिल्ली, कोलकाता आदि महानगरों में जाने को विवश होना पड़ा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य में आई० टी० उद्योग को बढ़ावा देने तथा बिहार के प्रोफेशनल के पलायन को रोकने हेतु कौन-से कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ?

थाना खोलना

*11. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला का बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र नक्सल प्रभावित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बैकुण्ठपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत अधिकांश गाँव दियारा प्रभावित होने के कारण पिछड़ा है तथा थाना का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, जिसके कारण पुलिस को अपराध नियंत्रण में काफी परेशानी होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बैकुण्ठपुर थानान्तर्गत राजापट्टी में एक ओ० पी० या थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

वायुमार्ग से जोड़ना

*12. श्री सदानन्द सिंह—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सिल्क नगरी भागलपुर से देश-विदेश में सिल्क कपड़ों की आपूर्ति होती है, परन्तु हवाई पट्टी रहने के बाद भी इसे वायुमार्ग से नहीं जोड़ा गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सिल्क नगरी, भागलपुर को वायुमार्ग से जोड़ने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

गजेटियर का प्रकाशन

*13. श्री [illegible]—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के प्रत्येक जिला में 1907 से प्रतिवर्ष डिस्ट्रिक्ट गजेटियर प्रकाशित किया जा रहा था जिसमें संबंधित जिला का अद्यतन विस्तृत विवरणी उपलब्ध रहता था ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1956 से अबतक डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का प्रकाशन बंद है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रत्येक जिला से डिस्ट्रिक्ट गजेटियर का प्रकाशन फिर से शुरू करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण हटाना

*14. मो0 नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना नगर अन्तर्गत मैनपुरा पंचायत के सदाकत आश्रम से पश्चिम एक कब्रिस्तान रकबा 26 कट्ठा अवस्थित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड (1) में वर्णित कब्रिस्तान के पूरब एवं उत्तर के कोने पर तीन कट्ठा भूमि पर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड (2) में अंकित अतिक्रमित भूमि से कबतक अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*15. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के तरियानी छपरा में थाना बनाने की स्वीकृति एवं थाना निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि की स्वीकृति 3 वर्ष पूर्व जिला को भेज दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त थाना का निर्माण अबतक शुरू नहीं करने का क्या औचित्य है ?

अग्निशामक केन्द्र बनाना

*16. श्री मदन मोहन तिवारी—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत मझौलिया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखंड में आग लगने की घटना होने पर अग्निशामक यंत्र के आने में अधिक समय लगता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मझौलिया प्रखंड में अग्निशामक केन्द्र बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*17. श्री दिनेश चन्द्र यादव—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला के बनमा इटहरी बलवाहाट, कनरिया एवं चिड़ैया ओ०पी० सरकार द्वारा अधिसूचित ओ०पी० है, जिसे अपना भवन नहीं रहने से काफी दिक्कत होती है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त ओ०पी० में भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वक्फ संपत्तियों का विकास

*18. मो० नेमतुल्लाह—क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन मुस्लिम समुदाय के वक्फ संपत्ति का विकास एवं जीर्णोद्धार के लिये किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति का विकास हेतु रिवाल्विंग फण्ड के रूप में वर्ष 2006 से 2016 तक दो करोड़ 8 लाख रुपया विभाग को उपलब्ध कराया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि वक्फ संपत्ति का विकास नहीं कर उक्त विभाग द्वारा 4,61,000 रुपया वित्त विभाग को मार्च, 2015 में सरेण्डर कर दिया गया ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो विभाग में बची हुई राशि से सरकार कबतक वक्फ संपत्तियों का विकास करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समान मानदेय देना

*19. श्री प्रमोद कुमार—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के पत्रांक 172/अभियान, दिनांक 3 फरवरी, 2016 एवं ज्ञापांक 819, दिनांक 10 फरवरी, 2016 द्वारा पूर्वी चम्पारण सहित राज्य के सभी जिलों में एस०पी०ओ० की नियुक्ति पुलिसकर्मी के सहयोग के लिये किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इनका मानदेय मात्र तीन हजार प्रतिमाह मिलता है जो चौकीदार, दफादार, होमगार्ड सिपाही से बहुत कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी एस०पी०ओ० का मानदेय गृह रक्षा वाहिनी के सिपाही के समान देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ०पी० खोलना

*20. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड अन्तर्गत कोईरीडीह से नवीनगर थाना की दूरी 15 कि०मी० एवं खैरा थाना की दूरी 16 कि०मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों थाना की दूरी अधिक होने से उक्त गाँव के रास्ते झारखंड एवं सोन के रास्ते से अपराधी आकर आपराधिक घटना करते रहते हैं ;

(3) क्या यह बात सही है कि खैरा थाना से बड़ेम ओ०पी० की दूरी मात्र 2 कि०मी० है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़ेम ओ०पी० के स्थान पर कोईरीडीह में ओ०पी० खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*21. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अन्तर्गत ग्राम-हुसैनाबाद (अरैला) नयाम में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी नहीं हुआ है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण तेजी से हो रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कर्मचारी का स्थानांतरण

*22. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि किसी भी कर्मचारी को एक जगह पर तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद स्थानान्तरण करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा प्रखंड में मो० सकील अहमद अंसारी, उर्दू टंकक के पद पर 20 वर्षों से प्रतिनियुक्त थे जो दो माह पूर्व उच्च वर्गीय लिपिक में प्रोन्नति के बाद भी उसी प्रखंड में पदस्थापित हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी को स्थानान्तरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति नहीं करने का औचित्य

*23. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कदवा, बारसोई, प्राणपुर, फलका, कोढ़ा, हसनगंज तथा दरभंगा जिला के केवटी सहित बिहार राज्य के अल्पसंख्यक बहुल (एम०एस०डी०पी० योजना के अन्तर्गत सम्मिलित) प्रखंडों में एम०एस०डी०पी० के मार्ग दर्शिका के अनुसार एम०एस०डी०पी० योजना के कार्यान्वयन के लिये वर्ष 2013 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा डी०ओ० नं० 3/31/2012 पी०पी०, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के माध्यम से प्रखंड स्तरीय फसलीटेटर्स (बी०एल०एफ०एस०) की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, लेकिन उक्त प्रावधान के आलोक में प्रखंड स्तरीय फसलीटेटर्स की नियुक्ति अभीतक नहीं करने का क्या औचित्य है ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*24. श्री विनय वर्मा--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत नरकटियागंज प्रखंड के गौनाहा पंचायत के पंचमवा कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर नहीं देने का औचित्य

*25. डॉ० शकील अहमद खाँ--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य की उर्दू द्वितीय राजभाषा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा विगत 6 माह में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सहित बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों को उर्दू भाषा में कामकाज को लेकर तथा विभिन्न समस्याओं से संबंधित पत्र उर्दू में लिखा गया है, लेकिन आजतक पत्र का लिखित उत्तर उर्दू या हिन्दी भाषा में नहीं प्राप्त हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा उर्दू भाषा में उक्त विभागों के माननीय मंत्री को पत्र लिखने के बावजूद आजतक उर्दू या हिन्दी में लिखित उत्तर नहीं देने का औचित्य क्या है ?

कार्रवाई की अद्यतन स्थिति

*26. श्री राघव शरण पाण्डेय--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा, प० चम्पारण ने 19 मई, 2016 को आदेश जारी कर बिजली का हाई टेंशन तार टूटने से होने वाली दुर्घटना की जाँच हेतु जाँच दल का गठन किया है ;

(2) क्या यह बात सही है उपरोक्त जाँच दल को एक सप्ताह के अन्दर जाँच प्रतिवेदन मंतव्य के साथ देना था ;

(3) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं, तो जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई की अद्यतन स्थिति क्या है ?

ओ०पी० में परिवर्तन करना

*27. श्री निरंजन कुमार मेहता--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी सखुआ पंचायत का वृंदावन गाँव अतिसंवेदनशील गाँव है ;

(2) क्या यह बात सही है वर्ष 2013 में उक्त गाँव में पुलिस पिकेट की स्थापना की गयी थी, परन्तु पुलिस पिकेट में पुलिस बल की संख्या कम होने के कारण गाँव में होने वाली घटना को नियंत्रित करने में काफी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव में अवस्थित पुलिस पिकेट को ओ०पी० में परिवर्तन कराना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

धर्मकाँटा का निर्माण

*28. श्री सदानन्द सिंह--क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के एन०एच० 80 पर स्थित जीरो माइल एवं शिवनारायणपुर के पास

धर्मकाँटा (वेटिंग मशीन) लगाने का निर्णय सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ली गयी थी, जो आजतक निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर कबतक धर्मकाँटा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा देना

*29. श्री नीरज कुमार--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड अनुमंडल बनने की सारी शर्तें पूरी करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बारसोई को अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अतिक्रमण से मुक्ति

*30. श्री मेवालाल चौधरी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिलान्तर्गत हवेली खड़गपुर के अम्बेडकर चौक से थाना मोड़ तक सड़क का अतिक्रमण किये जाने से लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क को कबतक अतिक्रमण मुक्त कराने का विचार रखती है ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*31. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत डोभी प्रखण्ड के महुआ एवं शेरघाटी प्रखण्ड के सिहुली गाँव में कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने से कब्रिस्तान में जानवर चरा करते रहते हैं ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलवाना

*32. डॉ० रामानुज प्रसाद--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2016 को प्रकाशित शीर्षक "बैंक के लिये अब भी लंबी दूरी तय कर रहे लोग" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार दो हजार की आबादी वाले ग्रामों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है, परन्तु प्रदेश के 13 (तेरह) प्रखंड मुख्यालयों में अभीतक कोई वाणिज्यिक बैंक नहीं खोली गयी है ;

(2) क्या यह बात सही है बैंकों के माध्यम से ही सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएँ कार्यान्वित होती है यथा अनाज के बदले कैश सब्सिडी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, गैस सब्सिडी इत्यादि ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त योजनाओं का सफल कार्यान्वयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक पंचायतों में बैंकिंग शाखा खोलवाने हेतु पहल करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

जाम से निजात दिलाना

*33. श्री मदन मोहन तिवारी : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेतिया जिलान्तर्गत बेतिया नगर परिषद् क्षेत्र में यातायात पुलिस इकाई रहने के बावजूद भी जाम की हालत बनी रहती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेतिया नगर परिषद् क्षेत्र में यातायात को जाम की हालत से कारगर निजात दिलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

थाना का दर्जा देना

*34. श्री रामदेव राय : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के भगवानपुर प्रखण्ड के अन्तर्गत तिघरा ओ0 पी0 वर्षों से कार्यरत हैं तथा इस क्षेत्र के कई हिस्से नक्सलियों से प्रभावित है, यदि हाँ, तो सरकार तिघरा ओ0 पी0 को पूर्ण थाना का दर्जा देने का कबतक विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*35. श्री महबूब आलम : क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत बलरामपुर प्रखण्ड के रामपुर हरदा पंचायत में हरदा गाँव की कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुआ है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अवैध रूप से कब्जा किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की जमीन को अवैध कब्जा से मुक्त कराते हुये कब्रिस्तान की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*36. मो0 आफाक आलम : क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में अल्पसंख्यक समुदाय के लिये अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं होने के कारण पूर्णियाँ जिला के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्णियाँ जिला में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कबतक कराने विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबन्दी

*37. श्री फैयाज अहमद--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखण्ड के [illegible] एवं [illegible] कब्रिस्तानों को घेराबन्दी नहीं कराये जाने की वजह से अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*38. श्री दिनेश चन्द्र यादव--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने पाँच हजार की आबादी वाले गाँव में बैंक खोलने का निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अन्तर्गत सलखुआ प्रखण्ड के कोपड़िया गाँव की आबादी ग्यारह हजार है, जहाँ एक भी बैंक नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कोपड़िया गाँव में बैंक खोलने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार स्थापित करना

*39. श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय ''पप्पू''--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड में उप-कोषागार नहीं होने के कारण इस इलाके के आम जनता को 37 कि0 मी0 दूर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार कुचायकोट प्रखण्ड में उप-कोषागार स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सेवा चालू रखना

*40. श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कोटवा प्रखण्ड के गौरी ग्राम- जसौलीपट्टी में 1985 में सेन्ट्रल बैंक की शाखा स्थापित की गई थी, जिसका स्थानान्तरण जसौलीपट्टी से 8 कि0 मी0 की दूरी कोटवा में कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि तत्कालीन स्थानीय प्रतिनिधि एवं ग्रामीण जनता के विरोध के फलस्वरूप बैंक के साथ हुये समझौता के परिणामस्वरूप बैंकिंग लोकपाल, बिहार के पत्र सं0/सी0ओ0/पैट नि0 61/2000-01, दिनांक 14 नवम्बर, 2000 एवं दिनांक 23 नवम्बर, 2000 को हुये समझौता के आलोक में बैंक की शाखा को सप्ताह में दो दिन जसौलीपट्टी में कार्य करना था लेकिन इस आदेश का अनुपालन एक वर्ष से नहीं हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जसौलीपट्टी ग्राम में बैंकिंग सेवा चालू रखने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*41. श्री राम बालक सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड में उजियारपुर थाना 50 वर्षों से किराये के जमीन पर चल रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थाना जर्जर भवन में संचालित होने से सुरक्षाकर्मी कठिनाइयों का सामना करते हुए कार्य का निष्पादन करते हैं एवं सिपाही के रहने की व्यवस्था एवं मालखाना का सही व्यवस्था नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कबतक अपनी जमीन पर उक्त थाने का भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*42. श्री प्रहलाद यादव—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिलान्तर्गत पिपरिया प्रखंड के पिपरिया पंचायत की आबादी दस हजार के करीब है;

(2) क्या यह बात सही है कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में एक भी राष्ट्रीयकृत एवं ग्रामीण बैंक नहीं है जिससे लोगों को बैंक से संबंधित कार्य हेतु दूर जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पिपरिया पंचायत में बैंक की शाखा खोलवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा देना

*43. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद महिला थाना में दर्ज काण्ड संख्या 19/16 की प्राथमिकी में उल्लेख है कि सलमा खातून, पिता कौसर कादिर, मो० राजा नगर, थाना-रफीगंज पर तेजाब फेंका गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए सलमा खातून को सरकारी खर्च पर इलाज कराने एवं उन्हें मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी का निर्माण

*44. श्री विनोद प्रसाद यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिला अन्तर्गत डोभी थाना को पूर्ण थाना का दर्जा प्राप्त नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि डोभी थाना अन्तर्गत कोठवारा से आगे नहर के पास चिरवा पुल के निकट अपराधी, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के देर से पहुंचने के कारण भाग जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार डोभी को पूर्ण थाना का दर्जा प्रदान करते हुए चिरवा पुल के निकट पुलिस चौकी का निर्माण का विचार रखती है ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*45. श्री अब्दुर रहमान— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के चंदर पंचायत के छोटी [illegible] चौक से पश्चिम कब्रिस्तान, बेलवा पंचायत के [illegible] से दक्षिण कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुआ है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों का घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*46. श्री सिद्धार्थ सिंह— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत विक्रम थाना-सह [illegible] ग्राम-[illegible] निवासी रणविजय प्रताप उर्फ [illegible] सिंह, पिता-रामभजन सिंह कांड संख्या 816/05, 98/012, 57/016, जैसे दर्जनों आपराधिक मामलों में अभियुक्त हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित अपराधी विगत 3 वर्षों से फरार हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वर्णित अपराधी को सरकार कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जाधारियों से मुक्त कराना

*47. मो० नवाज आलम— क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि आरा चन्दवा मोड़ पर क्रिश्चनों की जमीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि आरा चन्दवा मोड़ पर लीज की जमीन का प्लॉट नं० 1754 जो मिशन की जमीन है जो सिर्फ क्रिश्चन समुदाय को ही दी गयी थी, लेकिन क्रिश्चनों द्वारा लीज की जमीन प्लॉट नं० 30 अलफ्रेड एन्ड्रज, प्लॉट नं०-31, सुधीर कुमार, प्लॉट नं०-37 एवं 38 भूपेश्वर मसीह सहित आठ 12 व्यक्तियों ने क्रमशः श्री विष्णु सिंह, श्री सुरेन्द्र तिवारी, श्री नन्दलाल मौआर को वर्ष 2012 में बेच दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्रिश्चनों द्वारा बेची जा रही जमीन पर रोक लगाने तथा जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*48. श्री अशोक कुमार (132)— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड में मुरादपुर, रामपुर तथा रहीमपुर प्रखंड में मुस्लिम कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं कराये जाने की वजह से पशुओं का चारागाह बन गया है, तो क्या सरकार जनहित में इन कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*45. श्री आबिदुर रहमान— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के [illegible] पंचायत के ग्राम [illegible] टोला में पश्चिम कब्रिस्तान, [illegible] पंचायत के [illegible] में [illegible] कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं हुआ है, जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों का घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गिरफ्तार करना

*46. श्री सिद्धार्थ सिंह— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत विक्रम विधान-सभा स्थित ग्राम-गोरखरी निवासी रणविजय प्रताप उर्फ बबलू सिंह, पिता रामभजन सिंह कांड संख्या-816/05, 98/012, 57/016, जैसे दर्जनों आपराधिक मामलों में अभियुक्त हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित अपराधी विगत 3 वर्षों से फरार है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में भय व्याप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो वर्णित अपराधी को सरकार कबतक गिरफ्तार करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्जाधारियों से मुक्त कराना

*47. मो० नवाज आलम— क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि आरा चन्दवा मोड़ पर क्रिश्चनों की जमीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि आरा चन्दवा मोड़ पर लीज की जमीन का प्लॉट नं० 1754 जो मिशन की जमीन है जो सिर्फ क्रिश्चन समुदाय को ही दी गयी थी, लेकिन क्रिश्चनों द्वारा लीज की जमीन प्लॉट नं० 30 अल्फ्रेड एन्डूज, प्लॉट नं०-31, सुधीर कुमार, प्लॉट नं० 37 एवं 38 भुनेश्वर प्रसाद सहित आप 12 व्यक्तियों ने क्रमशः श्री विष्णु सिंह, श्री सुरेन्द्र तिवारी, श्री नन्दलाल मेहता को वर्ष 2012 में बेच दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार क्रिश्चनों द्वारा बेची जा रही जमीन पर रोक लगाने तथा जमीन को कब्जाधारियों से मुक्त कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*48. श्री अशोक कुमार (132)— क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखंड में सुखीपुर, रामपुर तथा [illegible] प्रखंड में [illegible] कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं कराये जाने की वजह से पशुओं का चारागाह बन गया है, तो क्या सरकार जनहित में इन कब्रिस्तानों की घेराबन्दी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक ?

सी०सी० टी०वी० कैमरा लगाना

*39. श्री [illegible] कुमार मिश्रा: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के जिला कार्यालय में सी०सी०टी०वी० कैमरा लगा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के [illegible] प्रखण्ड पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना, अस्पताल सहित प्रमुख पदाधिकारियों के आवास पर सी०सी०टी०वी० कैमरा नहीं लगा हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित कार्यालयों एवं आवास पर सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नियुक्ति करना

*40. श्री [illegible] पासवान: क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के शिक्षा, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, ग्रामीण कार्य, कृषि विभाग सहित अन्य विभागों में 9 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं जिसमें से मात्र 50 हजार कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति एक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था है;

(3) क्या यह बात सही है कि एस०सी० एस०टी० का आरक्षण का बैकलॉग कोटा 1 लाख 60 हजार [illegible] किया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त बैकलॉग पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*41. श्री [illegible] कुमार: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि [illegible] के पत्रांक 191, दिनांक 8 जून, 2012 के आलोक में [illegible] प्रखण्ड स्थित [illegible] कब्रिस्तान खाता नं० 634, एवं खसरा नं० 5644 की घेराबंदी कराना था, लेकिन अभीतक घेराबंदी नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*42. श्री सिद्धार्थ सिंह: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के विक्रम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विक्रम एवं बिहटा प्रखण्ड स्थित [illegible] एवं [illegible] ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त वर्णित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*53. श्री [illegible]: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत [illegible], [illegible] (पुरानी पोखर), [illegible] (उपकार साहब के घर के पास) में कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी नहीं होने से कब्रिस्तान के जमीन में अतिक्रमण हो गया है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

*54. श्री [illegible] प्रसाद सिंह: क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ग्राम [illegible], प्रखण्ड चकिया में 4000 टी०सी०डी० क्षमता की नई चीनी मिल एवं इसके साथ 26 मेगावाट को-जेन विद्युत इकाई तथा 120 के०एल०पी०डी० की डिस्टलरी लगाने की परियोजना हेतु मे० कल्याणपुर शुगर रिफाइनरी लि०, कोलकाता को गन्ना विकास प्रोत्साहन पर्षद के द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2007 को स्वीकृति प्रदान की गई;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के द्वारा निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी मिल लगाने हेतु चीनी एवं गन्ना प्रोत्साहन नीति, 2006 (संशोधित 2014) के प्रावधानों के अन्तर्गत सुविधायें दी जाती हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ने मे० कल्याणपुर शुगर रिफाइनरी लि०, कोलकाता को नई चीनी मिल निर्माण के लिए कौन सा सुविधा उपलब्ध करा पायी है, नहीं, तो क्यों?

नागरिक परिषद् का गठन

*55. श्री [illegible] कुमार सिंह: क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत [illegible] थाना, [illegible] थाना, [illegible] थाना सहित जिला के अन्य थानों में बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त थानों में नागरिक परिषद् का गठन नहीं होने से जनता को न्याय मिलने में भारी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त थानों में बिहार राज्य नागरिक परिषद् का गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री: (1) स्वीकारात्मक है।

(2) अस्वीकारात्मक है।

(3) सरकार उक्त थानों में बिहार राज्य नागरिक परिषद् के गठन करने का विचार रखती है। यह प्रक्रियाधीन है।

[illegible] थाना में रखना

*56. श्री [illegible] राम: क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(1) क्या यह बात सही है कि [illegible] जिला के [illegible] प्रखंड अंतर्गत [illegible] ओ०पी० है जिससे दस किलो मीटर दूर [illegible] पंचायत भी उसके अंतर्गत है;

(2) क्या यह बात सही है कि [illegible] पंचायत से मात्र चार किलो मीटर की दूरी पर [illegible] थाना है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो [illegible] पंचायत को [illegible] थाना क्षेत्र के अन्दर में नहीं रखने का क्या औचित्य है ?

अग्निशामक केन्द्र की स्थापना

*57. श्री उमरेन्द्र कुमार पाण्डेय "राजू"—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड जिला मुख्यालय से करीब 17 कि०मी० की दूरी पर है जहाँ अग्निशामक केन्द्र नहीं होने के कारण प्रखंडवासियों को काफी असुविधा होती है; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रखंड में एक अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अपराधियों को दंडित करना

*58. श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जिला सीवान के प्रखंड गोरेयाकोठी थानान्तर्गत ग्राम की मठिया पोखरा के एक कुल का राम जानकी के 6 मूर्तियों की चोरी हुई है जो करीब 3 करोड़ की आंकी गई है, यह राम जानकी मंदिर 300 वर्ष पुरानी है। यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त चोरी हुई अष्टधातु की मूर्ति बरामद कराकर उक्त मंदिर को स्थापित कराते हुये अपराधियों को दंडित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*59. श्री अब्दुस सुबहान—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत अररिया प्रखंड के दियारी पंचायत के मदरसा टोला वार्ड 3 कब्रिस्तान, चिकनी पंचायत के भरिया हरिजन टोला भरिया सड़क से पूरब कब्रिस्तान, रामपुर कोदरकट्टी पंचायत के रामपुर हाट से पश्चिम स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है जिसके कारण कब्रिस्तान की जमीन का अतिक्रमण हो रहा है; यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तानों की घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उद्योग लगाना

*60. मो० आफाक आलम—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिला में कसबा, जलालगढ़, श्रीनगर, रुपौली, धमदाहा के सभी प्रखंडों सहित अन्य प्रखंडों में मकई की खेती काफी मात्रा में होती है लेकिन मकई पर आधारित कोई उद्योग नहीं लगने से किसानों को काफी आर्थिक क्षति होती है; यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्णियाँ जिला में मकई पर आधारित उद्योग लगाने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चीनी मिल चालू करना

*61. श्री राजीव नन्दन—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत गुरारू चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1933 में हुई जो वर्ष 1996 से बंद है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त चीनी मिल बंद हो जाने के कारण उसमें कार्यरत कामगारों एवं गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कोषागार चालू कराना

*62. श्रीमती अरुणा देवी—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में वर्ष 1982-83 में उप-कोषागार भवन का निर्माण किया जा चुका है यदि हाँ, तो सरकार कबतक उप-कोषागार को चालू करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*63. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मियों की नियुक्ति करने के लिये सरकार ने संकल्प संख्या 6161, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 के द्वारा श्री अशोक कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि इस उच्च स्तरीय समिति को संकल्प जारी होने के तारीख से तीन महीने के अंदर समिति को अपना प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करना था, परन्तु अभी तक समिति द्वारा प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण संविदा कर्मियों की नियुक्ति पर सरकार कोई निर्णय नहीं ले पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो संविदा कर्मियों के लिए बनायी गई उक्त उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कराकर उसपर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तानों की घेराबंदी

*64. श्री अवधेश कुमार सिंह—क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा पाँच वर्ष पूर्व लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि गया जिला के टिकारी अनुमंडल के ग्राम-करैथ, सिन्दुआरी तथा खजुरी स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी अबतक नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड (2) में वर्णित ग्रामों में स्थित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 1 अगस्त, 2016 (ई०)।

रामश्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

बि०स०मु० (एस०आर०), 22-सी०डी०पी०-500